

ग्रामीण सेवा शिविर



‘ग्रामीण सेवा शिविर –2025’

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट – देल्दर)

–: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का देल्दर मू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशाषा के आधार पर राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम देल्दर डुंका मू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2026-27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डुंका	34	जानि - शुर्व काष्ठ	जानि - देवारी

(डॉ. अशु प्रिया)
आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-18.09.2025

क्रमांक / ग्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 170
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री प्रिया डेलदर को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

